मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ) लघु जल संसाधन विभाग, पटना,
जल भवन, तृतीय तल, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना–800014
ईमेल– ce.pmg-bih@gov.in दूरभाष–0612–2215035

संचिका सं0:–ल0ज0सं0(पी0एम0जी0)–डिवार/कालीकृत–15/2023– 73 /पटना, दिनांकः– 29/10/2024

आदेश

संवेदक अंजली इंटरप्राईजेज, निदेशक–श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता–श्री राजेश्वर सिंह, ए0/06, हाउसींग कॉलनी कंकड़बाग, मोहल्ला–लोहियानगर, थाना–कंकड़बाग, जिला– पटना, पिन कोड–800020 निबंधन संख्या–MWRD1219C2PR0895 (द्वितीय श्रेणी) को निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–13/2021–22 के ग्रुप संख्या–02 (महुएत टाल आहर पईन का जिर्णोद्धार कार्य) की निविदा में डाले गये फर्जी अनुभव प्रमाण–पत्र के लिये (मात्रा में छेड़–छाड़ करने का) दोषी पाये जाने के कारण मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक–408 दिनांक–07.02.2023 द्वारा उन्हें कालीकृत करने संबंधी अनुशंसा सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या–15 –सह– पठित ज्ञापांक–306 दिनांक–13.04.2023 द्वारा संवेदक अंजली इंटरप्राईजेज, निदेशक–श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता–श्री राजेश्वर सिंह, ए0/06, हाउसींग कॉलनी कंकड़बाग, मोहल्ला–लोहियानगर, थाना–कंकड़बाग, जिला– पटना, पिन कोड–800020 निबंधन संख्या–MWRD1219C2PR0895 (द्वितीय श्रेणी) को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के नियम–11 (क) (vii) में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के आलोक में अगले 10 वर्ष के लिये कालीकृत किया गया, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–6420/2023 अंजली इंटरप्राईजेज बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दायर किया गया। उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–19.05.2023 को पारित न्याय निर्णय का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"Learned counsel for the State is not disputing that impugned action of the respondent is without issuing notice. On this short ground, the petitioner has made out a case, accordingly, Annexture-7 dated 13.04.2023 stands set aside, reserving liberty to the concerned respondent to proceed in accordance with law"

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि संवेदक द्वारा कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की मात्रा में छेड़–छाड़ का तथ्य प्रकाश में आने पर कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया के पत्रांक–441 दिनांक–30.01.2023, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, गया का पत्रांक–225 दिनांक–01.02.2023 एवं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक–408 दिनांक–07.02.2023 द्वारा उक्त संवेदक को कालीकृत करने की अनुशंसा के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–131 दिनांक–24.02.2023 द्वारा बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के नियम–11 (ख) के आलोक में संवेदक से कारण पृच्छा की गयी थी। संवेदक द्वारा उक्त कारण पृच्छा का दिये गये जबाव के समीक्षोपरांत संवेदक द्वारा अपनी गलती को स्वीकार करने से संबंधित तथ्यों के आधार पर उन्हें 10 वर्षो के लिये कालीकृत किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–19.05.2023 को पारित उक्त न्यायादेश एवं विभाग द्वारा विधि विभाग से माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर किये जाने के संबंध में मंतव्य की मांग किये जाने पर विद्वान महाधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु दिये गये परामर्श के आलोक में विभागीय पत्रांक–5600 दिनांक–12.09.2023, ज्ञापांक–338 दिनांक–19.01.2024 द्वारा अग्रेत्तर

कार्रवाई करने के लिये निदेश के आलोक में इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या–15 –सह– पठित ज्ञापांक–306 दिनांक–13.04.2023 को निरस्त करते हुए संवेदक अंजली इंटरप्राईजेज, निदेशक–श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता–श्री राजेश्वर सिंह, ए0/06, हाउसींग कॉलनी कंकड़बाग, मोहल्ला–लोहियानगर, थाना–कंकड़बाग, जिला– पटना, पिन कोड–800020 निबंधन संख्या– MWRD1219C2PR0895 (द्वितीय श्रेणी) को कालीसूची से मुक्त किया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में नियमानुसार संवेदक अंजली इंटरप्राईजेज, निदेशक–श्री अमरेन्द्र कुमार के विरूद्ध नये सिरे से विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अंजली इंटरप्राईजेज, निदेशक–श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता–श्री राजेश्वर सिंह, ए0/06, हाउसींग कॉलनी कंकड़बाग, मोहल्ला–लोहियानगर, थाना–कंकड़बाग, जिला– पटना, पिन कोड–800020 निबंधन संख्या– MWRD1219C2PR0895 (द्वितीय श्रेणी) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कार्य विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल/सचिव के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक– 803 /पटना, दिनांक– 29/10/2024

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/10/24

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

29/10/24

D:\New folder - 2024\1 - Anjali Enterprises.docx